

कार्यालय मुख्य अग्निशमन
पत्रांक: सीएफओ/एन/एनटीएल/2025-26

अधिकारी

जनपद

ईमेल—cfontl.ukfs@gmail.com

नैनीताल (हल्द्वानी)

दिनांक: अगस्त 23, 2025

सेवा में,

OWNER/MANAGER,
DON BOSCO GIRLS COLLEGE,
AAMPARAO, POST OFFICE—CHOPRA, DISTT. NAINITAL.

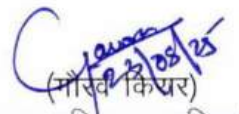
विषय : अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के Annual Clearance के सम्बन्ध में।

कृपया आपके आवेदन यूनिफ़ॉर्म नम्बर— 26375849, दिनांक: 07.08.2025 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त आवेदन DON BOSCO GIRLS COLLEGE, AAMPARAO, POST OFFICE—CHOPRA, जनपद नैनीताल का अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण (सभी मापदण्ड यथा भवन निर्माण उपविधि उत्तराखण्ड शासन एवं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के मानकों के अनुसार) प्रभारी अग्निशमन अधिकारी फायर स्टेशन मल्लीताल द्वारा किया गया। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी मल्लीताल की संस्तुति निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 16.08.2025 के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था हेतु ए0बी0सी0 04 किग्रा क्षमता के 12 अदद, सीओटू 4.5 किग्रा के 02 अदद, फायर एक्सटिंग्यूशर, होजरील मय फिटिंग्स 02 अदद, 50 हजार ली0 क्षमता का ओवर हैड टैंक स्थापित है, अग्निशमन सुरक्षा दृष्टिकोण से स्थल उपयुक्त पाया गया व अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में पाये गये। अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्निजोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी।

निर्देशित किया जाता है कि विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तदनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक 03 वर्ष से पूर्व इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर नियमानुसार (10 रुपये प्रति फायर एक्सटिंग्यूशर की दर से) टेस्टिंग शुल्क फायर सर्विस हैड—0070 अन्य प्रशासनिक सेवायें 60 अन्य सेवायें, 109 अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण के अन्तर्गत जमा कराया जायेगा, इसके अतिरिक्त प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व: घोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना होगा तथा सदैव मानकों के अनुरूप अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अतः प्रभारी अग्निशमन अधिकारी नैनीताल की संस्तुति के आधार पर DON BOSCO GIRLS COLLEGE, AAMPARAO, POST OFFICE—CHOPRA, जनपद नैनीताल का प्राथमिक अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र (भूतल में 05 कमरें, प्रथम तल में 05 कमरें, कुल 10 कमरें हेतु) दिनांक: 23 अगस्त 2025 से 22 अगस्त 2028 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाये—

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
2. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण(Evacuation)प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए। जंगल के आग से सुरक्षा के सभी प्रकार के प्रबन्ध किया जाना आवश्यक होगा।
4. भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटिलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित प्राधिकारी से कराया जाना आवश्यक होगा।
5. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
6. संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।
7. शैक्षणिक भवन का प्रयोग अन्य किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियों हेतु प्रयोग में नहीं लाया जायेगा।


(मोहर के फायर)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नैनीताल (हल्द्वानी)।